

क्र.स.	ए.स.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/ सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
1	120.1	कार्यकारी समिति की 119 वीं बैठक दिनांक 20.08.2007 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से एजेण्डा संख्या 119:19 के निर्णयों को छोड़ते हुये शेष एजेण्डों की पुष्टि किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया।		
2	120.2	जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा द्वारा अनुमोदित मोती भवन गृ.नि.स.स. की योजना हनुमान नगर डी-के पुर्नगठित भूखण्ड संख्या डी-9 व डी-26 क्षेत्रफल 1285.90 वर्ग गज का भू-उपयोग आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (मै0 राजपूताना कन्सल्टेशन प्रा.लि.)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जविप्रा द्वारा अनुमोदित मोती भवन गृ.नि.स.स. की योजना हनुमान नगर डी-के पुर्नगठित भूखण्ड संख्या डी-9 व डी-26 क्षेत्रफल 1285.90 वर्ग गज का भू-उपयोग आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ इस शर्त के साथ किया गया कि आवेदित भूखण्ड पर देय सैटबैक योजनानुसार अथवा भवन विनियम 2000 अनुसार जो भी अधिक हो देय होंगे व अन्य पैरामिटर्स योजना अनुसार होंगे साथ ही भूखण्ड का मानचित्र अनुमोदित कराया जाना अनिवार्य होगा।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-7	
3	120.3	जविप्रा क्षेत्र में स्थित जय जवान गृ.नि.स.स. की योजना स्कीम न. 2 के भूखण्ड संख्या 37 क्षेत्रफल 311.11 वर्ग गज भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक किये जाने के संबंध में। (श्री धीरेन्द्र हीरावत)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि छोटे भूखण्डों पर व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन के संबंध में राज्य सरकार के स्तर पर नीति निर्धारण विचाराधीन है। अतः प्रकरण स्थगित किया गया।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-4	
4	120.4	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम मोटूकाबास तहसील आमेर के ख.नं. 175/741 रकबा 0.47 है0 व ख.नं. 178 रकबा 1 है0 कुल किता 2 रकबा 1.47 है0 अर्थात 14700 वर्ग मीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (मै0 सावर मल विमल कुमार)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम मोटूकाबास तहसील आमेर के ख.नं. 175/741 रकबा 0.47 है0 व ख.नं. 178 रकबा 1 है0 कुल किता 2 रकबा 1.47 है0 अर्थात 14700 वर्ग मीटर में से राष्ट्रीय राजमार्ग में निहित होने वाली 1290 व.मी. भूमि व प्लान्टेशन कोरीडोर में निहित होने वाली 2550 व.मी. भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 10860 व.मी. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-12	
5	120.5	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम मोटूकाबास तहसील आमेर के ख.नं. 450, 450/703, 451, 452, 453, 455, 456 कुल किता 7 रकबा 3.20 है0 अर्थात 32000 वर्ग मीटर भूमि में से सर्वे मैप अनुसार खसरा सुपर ईम्पोज करने पर मौके पर प्राप्त 30230.10 वर्ग मीटर का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने के संबंध में। (ग्रेसी डेजर्ट)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम मोटूकाबास तहसील आमेर के ख.नं. 450, 450/703, 451, 452, 453, 455, 456 कुल किता 7 रकबा 3.20 है0 अर्थात 32000 वर्ग मीटर भूमि में से सर्वे मैप अनुसार खसरा सुपर ईम्पोज करने पर मौके पर प्राप्त 30230.10 वर्ग मीटर भूमि में से राष्ट्रीय राजमार्ग में निहित होने वाली 1540.5 व.मी. भूमि व प्लान्टेशन कोरीडोर में निहित होने वाली 3418.10 व.मी. भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर एवं ख.नं. 451 किस्म गै.मू.चाह की 100 वमी भूमि को छोड़ते हुये शेष 25171.50 व.मी. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-12	
6	120.6	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम मोहब्बतपुरा तहसील फागी के ख.नं. 1129/2 रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा अर्थात 2.23 है0 भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (रामचन्द्र)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम मोहब्बतपुरा तहसील फागी के ख.नं. 1129/2 रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा अर्थात 2.23 है0 भूमि में से सड़क सीमा में निहित होने वाली 5462.25 व.मी. भूमि जविप्रा निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 16836.70 व.मी. भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	

क्र.स.	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/ सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
7	120.7	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम नृसिंहपुरा तहसील सांगानेर के ख. नं. 446, 447 किता 2 रकबा 0.4040 है 0 अर्थात् 4040 वर्ग मीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से व्यावसायिक किये जाने के संबंध में। (सुनिता नागपाल)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम नृसिंहपुरा तहसील सांगानेर के ख.नं. 446, 447 किता 2 रकबा 0.4040 है 0 अर्थात् 4040 वर्ग मीटर भूमि में से सड़क सीमा में आने वाली 1277.34 व.मी. व प्लाटेशन कोरीडोर में आने वाली 1856.60 व.मी. भूमि जविप्रा को नि:शुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 906.06 व.मी. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से व्यावसायिक किये जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	
8	120.8	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर के ख.नं. 1199, 1200, 1200/1771 कुल किता 3 रकबा 2.55 है 0 अर्थात् 25500 वर्ग मीटर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण क्षेत्र से संस्थानिक किये जाने के संबंध में। (मै0 बालाजी शिक्षा विकास संस्थान)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर के ख.नं. 1199, 1200, 1200/1771 कुल किता 3 रकबा 2.55 है 0 अर्थात् 25500 वर्ग मीटर भूमि में से सड़क सीमा में आने वाली 1684 व.मी. भूमि जविप्रा को नि:शुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 23816 व.मी. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण क्षेत्र से संस्थानिक किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	
9	120.9	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम ग्वार ब्राह्मणान तहसील सांगानेर के ख.नं. 786, 787, 1072/736, 789, 798, 799, 806, 811, 842, 843, 844, 815, 816, 823, 826, 827, 828/1057, 803, 807, 808, 857, 858, 859, 860, 849, 800, 801, 802, 846/1059, 790, 797, 845, 870, 848, 846, 726, 727, 884, 885, कुल किता 39 रकबा 1056 है 0 भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने के संबंध में। (राजस्थान सचिवालय अधिकार संघ)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम ग्वार ब्राह्मणान तहसील सांगानेर के ख.नं. 786, 787, 1072/736, 789, 798, 799, 806, 811, 842, 843, 844, 815, 816, 823, 826, 827, 828/1057, 803, 807, 808, 857, 858, 859, 860, 849, 800, 801, 802, 846/1059, 790, 797, 845, 870, 848, 846, 726, 727, 884, 885, कुल किता 39 रकबा 1056 है 0 भूमि में से सड़क सीमा में आने वाली 972 व.मी. भूमि जविप्रा को नि:शुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 104828 व.मी. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	
10	120.10	Approval of tender for the work of P/L & Jointing of Lateral Sewer Line in Sector-30 (Package-02) sanctioned under JNNURM.	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जोनल अभियन्ता पीएचई प्रथम के प्रस्तावानुसार मै0 आनन्दीलाल लालपुरीया की नेगेसेटेट दर का पार्ट-ए 20.21 प्रतिशत अधिक (Above) एवं पार्ट-बी 20.78 प्रतिशत अधिक (Above) कुल राशि रुपये 4,85,05,367.32 स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।	Zonal Engineer (PHE-I)	
11	120.11	Providing, Laying & Jointing of lateral sewer lines in Hathoj Kardhani Scheme of JDA, Kalwar road in ANNURM.	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जोनल अभियन्ता पीएचई द्वितीय के प्रस्तावानुसार मै0 वृद्धावन कन्सट्रक्शन कम्पनी की टेन्डर दर की राशि पार्ट-ए 24.16 प्रतिशत अधिक (Above) एवं पार्ट-बी 16.16 प्रतिशत अधिक (Above) कुल राशि रुपये 3,92,90,522.07 स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।	Zonal Engineer (PHE-II)	
12	120.12	रोहिणी नगर-द्वितीय में भूखण्ड संख्या ए-845 के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से रोहिणी नगर-द्वितीय में भूखण्ड संख्या ए-845 का नियमितिकरण किये जा निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-11	
13	120.13	रोहिणी नगर-द्वितीय में भूखण्ड संख्या बी-1223 के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से रोहिणी नगर-द्वितीय में भूखण्ड संख्या बी-1223 का नियमितिकरण किये जा निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-11	

क्र.स.	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/ सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
अन्य मुद्दे आयुक्त महोदय की अनुमति से (SUPPLEMENTARY AGENDA)					
14	120.14	Approval of tender for providing & fixing of precast RCC Box type culvert in JDA area (Rate Contract)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जोनल अभियन्ता टी.ए.डू. डायरेक्टर के प्रस्तावानुसार मै0 भारत स्पन पाईप एण्ड कन्स. क. की दर :- ए. जविप्रा की बीएसआर आईटमों की दर की 25.55 प्रतिशत अधिक (Above) राशि रु. 4,82,21,364.55 बी. नोन बीएसआर आईटम की राशि रुपये 23,06,000.00 आईटम नं. दर 1. Rs. 500.0 P.Rmt. P. year 2. Rs. 4500.0 P.Cum 3. Rs. 210.0 P.Cum 4. Rs. 120.0 P.Cum 5. Rs. 225.0 P.Cum 6. Rs. 2600.0 P.Cum 7. Rs. 2150.0 P.Cum 8. Rs. 42.0 P.Kg कुल राशि रुपये 5,05,27,369.55 बिना किसी शर्त के स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।	T.A. To Director (Eng.)	
15	120.15	Construction of road from Muhana mod to Newta in Zone 11A, JDA, Jaipur	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जोनल अभियन्ता 11ए के प्रस्तावानुसार मै0 हरदयाल कन्स. की प्राप्त संशोधित दर बी.एस.आर आईटम (शिड्यूल जी) 14.11 प्रतिशत अधिक (Above) कुल राशि 679.77 लाख का बिना किसी शर्त के अनुमोदन किया गया।	Zonal Eng. 11A	
16	120.16	Construction of road from Newta to Parli Parsa In Zone 11A, JDA, Jaipur	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जोनल अभियन्ता 11ए के प्रस्तावानुसार मै0 राजेन्द्र सिंह भामू की प्राप्त संशोधित दर बी.एस.आर आईटम (शिड्यूल जी) 14.11 प्रतिशत अधिक (Above) कुल राशि 613.09 लाख का बिना किसी शर्त के अनुमोदन किया गया।	Zonal Eng. 11A	
17	120.17	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम बृद्धसिंहपुरा तहसील सांगानेर के ख. नं. 577/1, 579, 580/1, 581, 583/2, 584/1, 586/1, 588/1, 490 से 494 एवं 583/3 कुल किता 14 रकबा 3.74 है0 भूमि का भू-उपयोग मास्टर विकास प्लान 2011 में अंकित ओपन स्पेस से व्यावसायिक किये जाने के संबंध में। (शिवलाल मीणा)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम बृद्धसिंहपुरा तहसील सांगानेर के ख.नं. 577/1, 579, 580/1, 581, 583/2, 584/1, 586/1, 588/1, 490 से 494 एवं 583/3 कुल किता 14 रकबा 3.74 है0 भूमि में से सेक्टर रोड में आने वाली 3425.21 वर्ग गज भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर शेष 41305.19 वर्ग गज भूमि का भू-उपयोग मास्टर विकास प्लान 2011 में अंकित ओपन स्पेस से व्यावसायिक किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-9	
18	120.18	जविप्रा द्वारा अनुमोदित आनंद भवन गृ.नि.स.स. की योजना वीर विहार के भूखण्ड सं. 5 व 10 क्षेत्रफल 958.62 वर्ग गज, 6 व 9 क्षेत्रफल 938.88 वर्ग गज एवं भूखण्ड संख्या 7 व 8 क्षेत्रफल 905 वर्ग गज का भू-उपयोग उपान्तरण प्रस्तावित किया गया था। आवेदक के संशोधित प्रस्ताव अनुसार समस्त भूखण्डों को पुर्नगठन किये जाने के पश्चात् कुल क्षेत्रफल 2803.04 वर्ग गज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक किये जाने के संबंध में। (कमान्डर श्री राजेन्द्र सिंह)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि क्वीन्स रोड महत्वपूर्ण सड़क होने के कारण अगर भविष्य में सड़क चौड़ाई हेतु भूमि की आवश्यकता को देखते हुये सामने का फ्रन्ट सैटबैक अधिक छोड़ा जावेगा। सैटबैक में से भविष्य में सड़क हेतु भूमि की जरूरत होने पर भूमि जविप्रा को निःशुल्क समर्पित करने की शर्त पर आनंद भवन गृ.नि.स.स. की योजना वीर विहार के भूखण्ड सं. 5 व 10 क्षेत्रफल 958.62 वर्ग गज, 6 व 9 क्षेत्रफल 938.88 वर्ग गज एवं भूखण्ड संख्या 7 व 8 क्षेत्रफल 905 वर्ग गज में से आवेदक के संशोधित प्रस्ताव अनुसार समस्त भूखण्डों को पुर्नगठन किये जाने के पश्चात् कुल क्षेत्रफल 2803.04 वर्ग गज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक किये जाने का निर्णय लिया गया। भूखण्ड का नक्शा नियमानुसार प्राधिकरण से अनुमोदन कराया जावेगा। प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-7	

क्र.स.	एस.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/ सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
19	120.19	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम हथरौई तहसील जयपुर के ख.नं. 428 क्षेत्रफल 16.07 है० में से 1188 वर्ग गज (गोलाई कर करते हुये) भूमि जिसे भूखण्ड संख्या 1-1 अंकित है का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक किये जाने के संबंध में। (शकुन्तला महावल)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रकृत स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक (आयोजना) / जोन-9	
20	120.20	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम बगराना तहसील जयपुर के ख.नं. 242, 243, 246, 247, 248, 263, 276, 277, 357, 358 कुल कित्ता 10 रकबा 151 बीघा 05 बिस्वा भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से संस्थानिक किये जाने के संबंध में। (जविप्रा)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व ग्राम बगराना तहसील जयपुर के ख. नं. 242, 243, 246, 247, 248, 263, 276, 277, 357, 358 कुल कित्ता 10 रकबा 151 बीघा 05 बिस्वा भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से संस्थानिक किये जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक (आयोजना) / जोन-11	
21	120.21	जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में उत्तर में सैक्टर 37 मौजुदा गोनेर रोड रिको द्वारा प्रस्तावित अवाप्ति के क्षेत्र को छोड़ते हुए एवं नाला तक दक्षिण में सैक्टर 50 की 200 फीट चौड़ी सड़क तक एवं पूर्व गोनेर का नाला एवं रिंग रोड, पश्चिम में टोंक रोड तक स्थित ग्राम गोनेर, सालिगरामपुरा, रामपुरा उर्फ कवरपुरा, खेडाजगन्नाथपुरा, मथुरावाला, जयचन्दपुरा, विधानी, विमलपुरा, बीलवाबुजुर्ग व खुसर तहसील सांगानेर का रकबा 1030.11 है० भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय व अन्य नगरीय उपयोग प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (जविप्रा)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में उत्तर में सैक्टर 37 मौजुदा गोनेर रोड रिको द्वारा प्रस्तावित अवाप्ति के क्षेत्र को छोड़ते हुए एवं नाला तक दक्षिण में सैक्टर 50 की 200 फीट चौड़ी सड़क तक एवं पूर्व गोनेर का नाला एवं रिंग रोड, पश्चिम में टोंक रोड तक स्थित ग्राम गोनेर, सालिगरामपुरा, रामपुरा उर्फ कवरपुरा, खेडाजगन्नाथपुरा, मथुरावाला, जयचन्दपुरा, विधानी, विमलपुरा, बीलवाबुजुर्ग व खुसर तहसील सांगानेर का रकबा 1030.11 है० भूमि का भू-उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय व अन्य नगरीय उपयोग प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया एवं प्रकरण 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे। इसी दौरान इस क्षेत्र का जोनल प्लान तैयार कर लिया जावे।	निदेशक (आयोजना) / जोन-11	
22	120.22	Approval of financial bid for Package IB C-Zone Bye Pass Panipech via Sikar Road (7.1 Km)	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जोनल अभियन्ता (बीआरटीएस) के प्रस्तावानुसार (ए) प्री-बिड मिटिंग की कार्यवाही व टेण्डर डाक्यूमेन्ट में संशोधन का अनुमोदन किया गया। (बी) न्यूनतम निविदाता मैसर्स नीरज सीमेन्ट्स स्ट्रक्चरल लिमिटेड- ए.आर.एस. एस (जोइन्ट वेंचर) मुम्बई के प्रस्ताव रुपये 54,61,68,058.00 बिना किसी शर्त के अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।	Zonal Eng. (BRTS)	

सचिव,
जविप्रा, जयपुर